

Form No-III

अज अदालत

फर्द अहकाम  
उपखण्ड अधिकारी

(नियम 26)

मुकाम ..... रायसिंहनगर

किरसा मुकदमा 136 एल आर एकट

मधु सिद्ध 22-11 बनाम सरकार

नाम्बर 268 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 795

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौं इस हुकम की तामील में जारी किए
3/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मधु सिद्ध</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/581 दिनांक 3/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>समपना</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>22-11</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2075 विक्रम</u> के खाता सं. <u>64</u> में <u>मधु सिद्ध</u> <u>पत्रांक नम्बर 26-58 लाहौर</u></p> <p>के स्थान पर <u>मधु सिद्ध महेन्दु सिद्ध</u> <u>नयीमप धा-58 लाहौर</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>मधु सिद्ध</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>22-11</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2075 विक्रम</u> के खाता सं. <u>64</u> में <u>मधु सिद्ध</u> <u>वाके नयीमप धा 58 लाहौर</u> के स्थान पर <u>मधु सिद्ध 50 महेन्दु सिद्ध</u> <u>धा-58 लाहौर</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

समपना

